न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद बइजलास

शत्रुध्न सिह गुर्जर आर.ए.एस

मिसल न0	दायरा तिथि	निर्णय दिनाक
144/2021	06/10/2021	13/7/24

राधेश्याम उर्फ पप्पू आत्मज पन्ना उर्फ पन्नालाल जाति माली निवासी कैथून तह0 लाडपुरा जिला कोटा

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद,जिला कोटा।

– प्रतिवादी

वाद अ0धा0 88,89, आरटीएक्ट

वकील वादी – श्री प्रमोद चौधरी

आदेश

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम चोमाकोट पटवार हल्का चौमा कोटा तहसील दीगोद मे खाता सं0 60 पर खसरा नम्बर 50 की 1.86 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न है।

यह कि उपरोक्त आराजी वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है जिसमें वादी का 1/7 हिस्सा दर्ज है जो वादी के पिता पन्ना जी की मृत्यु के बाद प्राप्त हुआ है। पन्ना जी का फोती इंतकाल तस्दीक किया गया उसमें सहवन से वादी का नाम राधेश्याम के स्थान पर पप्पू अंकित कर दिया गया है।

यह कि वादी का नाम राधेश्याम है किन्तु राजस्व रेकार्ड में पप्पू अंकित कर दिया जो गलत है जबकि अन्य ग्राम कैथून तह0 लाडपुरा की जमाबंदी में वाददी का नाम राधेश्याम आत्जम पन्नालाल दर्ज है। नकल जमाबंदी पेश है।

यह कि वादी का नाम राधेश्याम है आरे उसके ,आधार कार्ड, पहचान पत्र,राशनकार्ड, स्कूल की टीसी,जनअधार कार्ड, आदि में वादी का नाम राधेश्याम है। इस कारण राजस्व रेकार्ड में इंतकाल खोलते समय सहवन से बोलता नाम अंकित कर देने के कारण वादी अपने हिस्से खाते की भूमि पर ऋण आदि की सुविधा प्राप्त नही कर सकता है। इस संबध में वादी ने पूर्व में बैक मे ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था किन्तु बैक अधिकारी ने वादी का नाम राधेश्याम होने व राजस्व रेकार्ड में पप्पू दर्ज होने कारण वादी को ऋण उपलब्ध नही हो सका। इस कारण राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 25.09.2021 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर वाद का नाम दुरस्त करने से मना कर दिया। जिस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक् हो गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम चोमाकोट पटवार हल्का चौमा कोटा तहसील दीगोद मे खाता सं0 60 पर खसरा नम्बर 50 की 1.86 है0 भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम पप्पू आ0 पन्ना के स्थान पर राधेश्याम उर्फ पप्पू आत्मज पन्नालाल दर्ज किये जाने व राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा व डिकी पारित फरमावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी का नाम पन्ना की मृत्यु पश्चात दर्ज होना वादी का हिस्सा 1/7 दर्ज होना स्वीकार है। शेष सिद्व करने का भार वादी पर है। वादी का नाम पप्पू नामा0 न 226 दिनांक 10.10.2001 से दर्ज हुआ है। वादी द्वारा नामान्तकरण की अपील नही कर गई है। जवाब प्रतिवादी के साथ पटवारी हल्का द्वारा मजमेआम में तैयार की गई रिपोर्ट की प्रति संलग्न की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में मजमेआम में तैयार की गई रिपोर्ट में अंकित किया

है कि ग्रामवासीयान् व सहखातेदारान् से जानकारी करने पर वादी का नाम राधेश्याम बताया गया । वादी को बोलचाल की भाषा में ग्रामवासीयान् द्वारा पप्पू के नाम से जाना जाता है।

पत्रावली में जवाब सरकार प्राप्त होने पर वाद की सुनवाई दिनांक 13.07. 2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो,वादपत्र,जवाब सरकार,पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद में अंकित दस्तावेज में आधार कार्ड, पहचान पत्र,जनाधारकार्ड, स्कूल टी.सी. मे वादी का नाम राधेश्याम है। इसी प्रकार वादी द्वारा वाद मे अंकित किया है कि जी ग्राम केथून पटवारी हल्का कैथून तह0 लाडपुरा के खाता सं. 142 नया पुराना 606 की ख.न. 2376/680 में वादी का नाम राधेश्याम पुत्र पन्नालाल हिस्स 1/5 जाति माली सा.देह दर्ज रेकार्ड है। पटवारी हल्का द्वारा मजमेआम में तैयार की गई रिपोर्ट में भी वादी को पप्पू के साथ साथ राधेश्याम के नाम से जानते हे यह अंकित किया है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम चोमाकोट पटवार हल्का चौमा कोटा तहसील दीगोद मे खाता सं0 60 पर खसरा नम्बर 50 की 1.86 है0 भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम पप्पू आ0 पन्ना के स्थान पर राधेश्याम उर्फ पप्पू आत्मज पन्नालाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे। विवादित आराजी में यदि रहनभार दर्ज है तो यथावत रहेंगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13/7/24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद